रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257706 CG-DL-E-04102024-257706

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3974]

No. 3974]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4333(अ).—केंद्रीय सरकार, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों और अधिकारियों के लिए उपाबंध) नियम, 2016 के नियम 5 और नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 125 की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण में श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अध्यक्ष के रूप में उनके अपना पद ग्रहण करने की तारीख से नियुक्त करती है तथा इस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ.1647(अ) तारीख 05 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना मे, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः-

"1. श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी,

सचिव.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

अध्यक्ष, पदेन;"।

[फा. सं. 05/03/2020-आईईपीएफ] अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

6433 GI/2024 (1)

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ.1647(अ) तारीख 05 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 3756(अ), तारीख 28 नवंबर, 2017, का.आ. 2282(अ), तारीख 8 जुलाई, 2020 और का.आ. 3455(अ), तारीख 13 अगस्त, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किये गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2024

S.O. 4333(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) and (6) of section 125 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with rules 5 and 7 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding of meetings and provision for offices and officers) Rules, 2016, the Central Government hereby appoints Smt. Deepti Gaur Mukerjee as chairperson to the Investor Education and Protection Fund Authority from the date she assumes her office as such and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1647 (E), dated the 5th May, 2016, namely:-

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

"1. Smt. Deepti Gaur Mukerjee, – Chairperson, ex officio; "

Secretary,

Ministry of Corporate Affairs,

Shastri Bhawan, New Delhi

[F. No. 05/03/2020-IEPF]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.

Note.-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1647 (E), dated the 5th May, 2016 and subsequently amended vide numbers S.O. 3756 (E), dated the 28th November, 2017, S.O. 2282 (E), dated the 8th July, 2020 and last amended S.O. 3455 (E), dated the 13th August, 2024.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257703 CG-DL-E-04102024-257703

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565] No. 565] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2024

सा.का.नि. 607(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (वार्षिक लेखा कथन का प्ररूप) नियम, 2018 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु,–

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (वार्षिक लेखा कथन का प्ररूप) संशोधन नियम , 2024 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (वार्षिक लेखा कथन का प्ररूप) नियम, 2018 के नियम 5 के, उप-नियम (2) में, "एक सदस्य", शब्दों के स्थान पर, "मुख्य कार्यकारी अधिकारी", शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 05/01/2023-आईईपीएफ]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1023(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

6434 GI/2024 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2024

- **G.S.R. 607(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 125 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2018, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Form of Annual Statement of Accounts) Amendment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2018, in rule 5, in sub-rule (2), for the words "one Member", the words "the chief executive officer" shall be substituted.

[F. No. 05/01/2023-IEPF]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1023(E), dated the 11th October, 2018.